न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — कैलाश बैरवा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 09/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00024

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:-

1. श्रीमती पारु यादव निवासी जैन मंदिर की गली, चमारवाडा ग्राम पंचायत छोटी सरवन जिला बॉसवाडा।
2. श्री नारायणलाल यादव (मेघवाल) पिता श्री खटीयालाल निवासी जैन मंदिर की गली, चमारवाडा ग्राम पंचायत छोटी सरवन जिला बॉसवाडा।
3. श्री राजेश यादव पिता कालुराम यादव निवासी यादव बस्ती ग्राम पंचायत छोटी सरवन जिला बॉसवाडा।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 27-02-2020

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्रीमती पारु यादव निवासी जैन मंदिर की गली, चमारवाडा ग्राम पंचायत छोटी सरवन जिला बॉसवाडा (ऋणी) 2-श्री नारायणलाल यादव (मेघवाल) पिता श्री खटीयालाल निवासी जैन मंदिर की गली, चमारवाडा ग्राम पंचायत छोटी सरवन जिला बॉसवाडा(ऋणी) एवं 3 श्री राजेश यादव पिता कालुराम यादव निवासी यादव बस्ती ग्राम पंचायत छोटी सरवन जिला बॉसवाडा(गारन्टर/अप्रार्थी) को दिनांक 11.12.2017 को 300000 (तीन लाख) रुपया ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 19-09-2019 तक कुल बकाया ऋण राशि 368053 रू. (तीन लाख अडसठ हजार तरेपन रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री नारायणलाल यादव (मेघवाल) की आवासीय सम्पति जो ग्राम छोटी सरवन, ग्राम पंचायत छोटी सरवन, पंचायत समिति छोटी सरवन तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, माप लगभग 1748 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर मे स्वयं का भूखण्ड, दक्षिण मे जीवा का मकान, पूर्व मे सडक एवं पश्चिम मे जैन कम्युनिटी की जमीन स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे अधिपत्य मे लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-09-2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित साम्यिक बंधक (Equitable Mortgage) है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही हुए। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार छोटी सरवन को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 27-02-2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कैलाश बैरवा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Bairwa
Date: 2020.03.02 09:57:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: